


सूचना का अधिकार  
म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड  
जिला पंचायत, जबलपुर  
संक्षिप्त जानकारी

1. संगठन का विवरण कार्य तथा कर्तव्य  
अ. संगठन



कार्य

1. योजना का संचालन करना, प्रचार प्रसार करना ।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग स्थापित कराना ।
  3. प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।
  4. विपणन की व्यवस्था कराना ।
  5. ग्रामोद्योग इकाई का निरीक्षण एवं पंजीयन करना ।
  6. वित्त पोषित ग्रामोद्योग इकाईयों से ऋण वसूली करना ।
2. अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य
  - अ. उपसंचालक ग्रामोद्योग :- योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन करना, कार्यालय का समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण, संभागीय जिलों के कार्यों की समीक्षा, विभागीय केन्द्र भण्डारों की समीक्षा, ग्रामोद्योग इकाईयों का निरीक्षण, पंजीयन ऋण वसूली, विभागीय समन्वय, विभागीय न्यायालयीन कार्य ।
  - ब. जिला निरीक्षण ग्रामोद्योग :- प्रकरण तैयार करना, इकाईयों का निरीक्षण करना, ऋण वसूली, कैशबुक लेजर एवं कार्यालयीन रिकार्ड का संधारण करना ।
  - स. सहायक ग्रेड-3 :- लिपिकीय कार्य, रिकार्ड व्यवस्थित रखना ।
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में लागू होने वाली प्रणाली, निरीक्षण तथा जवाबदेहिता की प्रणाली ।

म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल एवं शासन से समय समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना ।
4. मानदण्डों का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये ।

म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल एवं शासन से समय समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना ।

5. नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभि निर्धारित या नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये ।
  - म.प्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है । संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के पालन हेतु जानकारी एवं प्रशिक्षण खादी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।
6. दस्तावेजों, प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो ।  
विभाग द्वारा वित्तपोषित इकाईयों का रिकार्ड एवं विभागीय रिकार्ड म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार रखा जाता है ।
7. लोक सदस्यों से नीतियों के विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण ।  
म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दिशा निर्देशानुसार मान. जनप्रतिष्ठियों एवं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है । समस्या का निराकरण कार्य स्थल पर जाकर किया जाता है ।
8. उन बोर्डों, परिषदों कमेटियों तथा निकायों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप में अथवा परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं का विवरण एवं इस बात का विवरण की क्या उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले है म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल एवं शासन के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है ।
9. अधिकारियों, कर्मचारियों /नियोजितों की निर्देशिका ।  
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल द्वारा निर्धारित की गई है अतः सेवा शर्त नियमों का पालन किया जाता है ।
10. मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति /मुआवजें/प्रतिकर की पद्धति ।  
म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों/मानदण्डों के अनुरूप भुगतान किया जाता है ।
11. अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी ।
  - राज्य शासन परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना:- इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अ.ज.जा., सामान्य पिछड़ावर्ग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर 50 प्रतिशत अधिकतम 13500 तक अनुदान म0प्र0खादी तथ ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया जाता है ।
  - मार्जिनमनी योजना:- इस योजना के तहत 0खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य उद्योगों में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से रुपये 25.00 लाख तक की प्रोजेक्ट स्वीकृत कराई जा सकती है । इस योजना में 10.00 लाख तक की प्रोजेक्ट पर हितग्राही को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है तथा 25 प्रतिशत मार्जिनमनी देय होती है । अनु.जाति, अनु.ज.जाति, पिछडा

वर्ग एवं महिला हितग्राहियों को स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होता है तथा 30 प्रतिशत मार्जिनमनी दी जाती है, राशि रू. 10.00 लाख के उपर 10 प्रतिशत मार्जिनमनी देय है ।

वर्ष 2004-05 का लक्ष्य एवं पूर्ति

योजना का नाम	लक्ष्य		पूर्ति	
	इकाई संख्या	राशि	इकाई संख्या	राशि
राज्य शासन परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना	25	2.50 लाख	29	2.77 लाख
प्रशिक्षण	10	0.08 लाख	10	0.08 लाख
योग	35	2.58	39	2.85

प्राप्त आवंटन वर्ष 2005-06

- ❖ राज्य शासन परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना के तहत वर्ष 2005-06 हेतु 25 इकाईयों के लिये 2.50 लाख के अनुदान का प्रावधान रखा गया है ।
  - ❖ मार्जिनमनी योजना के तहत वर्ष 2005-06 में बैंकों के माध्यम से 21 इकाईयों हेतु रू. 112.00 लाख का ऋण प्रकरण स्वीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया है । बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर मार्जिनमनी राशि अपनी नोडल शाखा से क्लेम करेंगे ।
  - ❖ राज्य शासन परिवार मूलक इकाई स्थापना योजना के तहत 4 महिला, अनु.जाति, अनु.ज.जाति के प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 16000/- का आवंटन प्राप्त हुआ है ।
12. अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल के दिशा निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है ।
  13. दी गई रियायतों, सुविधाओं, अनुज्ञापत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की प्रविष्टियां म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार रियायतें /सुविधायें दी जाती है ।
  14. धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना उपलब्ध के बारे में विवरण ।  
कार्यालय में इलेक्ट्रानिक्स उपकरण उपलब्ध नहीं है ।
  15. नागरिकों को सूचनायें प्राप्त करने के लिये प्राप्त नियत सुविधाओं की प्रविष्टियां पर वाचनालय या रीडिंग रूम के कार्यवाही घंटे ।  
सूचनायें जानकारी मांगने पर समय पर उपलब्ध करा दी जाती है । कार्यालय में पृथक से रीडिंग रूम अथवा वाचनालय स्थापित नहीं है ।
  16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पद संख्या  
अपील अधिकारी :- प्रबंधक संचालक म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल  
लोक सूचना अधिकारी:- श्री एस.डी.शर्मा, उपसंचालक ग्रामोद्योग जिला पंचायत जबलपुर  
सहायक लोक सूचना अधिकारी श्रीमती फ्रांसिस्का तिकी जिला निरीक्षक ग्रामोद्योग जिला पंचायत जबलपुर ।
  17. ऐसी अन्य सूचनायें जो कि विहित की जाये  
आवश्यकतानुसार ।